0|C

132

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

कार्यालय
महाप्रबन्धक / सतर्कता
गोरखपुर– 273012
Office of the General Manager (Vig)
Gorakhpur - 273012

सं0-Z/13/ NOC/2020/02/01985/PC

दिनांक- 05.03.2021

प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक
पूर्वोत्तर रेलवे,
गोरखपुर.

विषय :- रेलवे चिकित्सालयों से अनुबंधित डायग्नोस्टिक सेंटर्स में रेफ़र किये जा रहे मामलों पर पद्धति सुधार के सम्बन्ध में ।

****

मंडल चिकित्सालय, बादशाहनगर से अनुबंधित डायग्नोस्टिक सेंटर्स में रेफ़र किये जा रहे रेलवे पेशेंट्स के बिलों को संज्ञान में लेकर की गयी जाँच में पाया गया कि मंडल चिकित्सालय, बादशाहनगर से अनुबंधित डायग्नोस्टिक सेंटर्स ने CGHS (Central Government Health Scheme) के NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) दर पर उक्त संस्थाओं में अनुपलब्ध डायग्नोस्टिक टेस्ट पर उनके दर की 15% -20 % तक छूट देने हेतु करार किया था । जनवरी-20 से फ़रवरी-20 तक मंडल चिकित्सालय, बादशाहनगर से अनुबंधित डायग्नोस्टिक सेंटर्स में रेफ़र किये गए 05 मामलों की रैंडम बेसेस पर जाँच में पाया गया कि उक्त 05 मामलों को अलग-अलग निदान, सरकार एवं प्रमिला डायग्नोस्टिक सेंटर्स में रेफ़र किया गया था। ज्ञात हो निदान, सरकार एवं प्रमिला डायग्नोस्टिक सेंटर्स द्वारा रेलवे से किये गए अनुबंध में क्रमशः 20%, 15% एवं 20% की छूट देने हेतु करार किया गया था । पाया गया कि केवल निदान डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा ही अनुबंध के अनुसार छूट रेफर किये गए मामलों में प्रदान की जा रही थी परन्तु निदान डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा भी अपने बिलों पर दी जा रही छूट को अलग से दर्ज नहीं किया जा रहा था। बाकी अन्य दो डायग्नोस्टिक सेंटर्स द्वारा करारनामा का उल्लंघन करते हुए रेलवे से रेफ़र किये जा रहे पेशेंट को जाँच में कोई छूट प्रदान नहीं की जा रही थी। चूँकि मामला रेलवे राजस्व की हानि से जुड़ा है अतः रेलवे राजस्व की हानि को रोकने हेतु सुझाव दिया जाता है कि :-

1. रेलवे के चिकित्सा विभाग से अनुबंधित सभी चिकित्सालयों, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, पैथोलॉजी एवं फर्मो को निर्देशित किया जाये कि उनके द्वारा अनुबंध के अनुसार देय डिस्काउंट उनके Bills/Bouchers पर स्पष्ट

रूप से अंकित होना चाहिए। डिस्काउंट Bills/Bouchers पर अंकित न होने पर इस प्रकार क Bills/Bouchers को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

2. चिकित्सा विभाग में कार्यरत सम्बंधित कार्याधी, जो कि चिकित्सा विभाग से अनुबंधित फर्मों के Bills/Bouchers की प्राथमिक स्तर पर जाँच करते हैं, उनको निर्देशित किया जाये कि चिकित्साधिकारियों से Bills/Bouchers की स्वीकृति हेतु पुटअप नोट में फर्म द्वारा दिए गए डिस्काउंट का अंकन अवश्य करें। ताकि चिकित्सकीय कार्य में व्यस्तता के साथ चिकित्सको द्वारा Bills/Bouchers की स्वीकृति पर भविष्य में इस प्रकार की गलती न हो।
3. चिकित्सा विभाग से जारी पे आर्डर ज्ञापन, जो कि अकाउंट विभाग को पेमेंट हेतु भेजे जाते हैं, उन पर भी चिकित्सा विभाग द्वारा अनुबंधित फर्म से प्राप्त डिस्काउंट का अंकन अलग से किया जाना चाहिए, ताकि अकाउंट विभाग को पेमेंट से पूर्व यह जानकारी रहे कि उनके पास भेजे गए पे आर्डर को जारी किये जाने से पूर्व देय डिस्काउंट को संज्ञान में लिया गया है ।

उक्त सभी सुझावों को नियमानुसार लागू किये जाने हेतु सभी मंडल चिकित्सालयों एवं ललमिरेचि, गोरखपुर को निर्देशित करें ताकि उक्त प्रकार की अनियमितताओं के कारण हो रहे अनावश्यक रेल राजस्व हानि को रोका जा सके। कृपया कृत कार्यवाही से सतर्कता विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

उक्त पर वउमप्र महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

वैभव
05/03/2021
(वैभव श्रीवास्तव)
उपमुसताधि/सिग्नल एवं दूरसंचार
कृते महाप्रबंधक/ सतर्कता

प्रतिलिपि :- मुचिधि/मंडल चिकित्सालय, पूर्वोत्तर रेलवे, बादशाहनगर।

वैभव
05/03/2021
(वैभव श्रीवास्तव)
उपमुसताधि/सिग्नल एवं दूरसंचार
कृते महाप्रबंधक/ सतर्कता

05/03/21